त्त प्रौद्योगिकी और संचार विभाग

राजस्थान सरकार
सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग
आई.टी. भवन, योजना भवन परिसर, तिलक मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर

क्रमांक :–एफ.2(7475)/डी.ओ.आई.टी./संस्था/18/00882 जयपुर, दिनांक 5.3.2019

अनापत्ति प्रमाण पत्र

राजस्थान कम्प्युटर अधिनस्थ सेवा के विभिन्न विभागों में कार्यरत/पदस्थापित कर्मचारियों को निम्नलिखित प्रतियोगी परीक्षाओं में सम्मिलित होने की स्थिति में इस विभाग को कोई आपत्ति नहीं है:–

क्र.स.	नाम एवं पद	पदस्थापित विभाग	परीक्षा का नाम
1.	श्री रमेश कुमार, सहायक प्रोग्रामर	खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, फलोदी जिला जोधपुर	1. नवोदय विद्यालय समिति – पीजीटी (कम्प्यूटर साईन्स) प्रतियोगी परीक्षा 2019
2.	श्री विजय कुमार मेघवाल, सहायक प्रोग्रामर	कार्यालय एनालिस्ट–कम–प्रोग्रामर (उप निदेशक), सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, उदयपुर	1. Programmer, Banaras Hindu University 2019
3.	श्री विकास कुमार अग्रावत, सूचना सहायक	उप पंजीयक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, नीम का थाना, सीकर	1. M.P. High Court, Jabalpur – **Civil Judge Class- II (Entry Level) Exam 2019**
4.	श्री विश्वास गिरी गोस्वामी, सूचना सहायक	कार्यालय एनालिस्ट–कम–प्रोग्रामर (उप निदेशक), सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, राजसमन्द	1. **Vice Principal/Superintendent ITI 2018** 2. **Forest Range Officer Gr-I 2018** 3. **Junior Engineer (JE), RRB**
5.	श्री विमल सोनगरा, सूचना सहायक	कार्यालय उपखण्ड अधिकारी रोहट, जिला पाली (राज.)	1. कर्मचारी चयन आयोग – **संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा–2018** 2. अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान जोधपुर – **एल.डी.सी.**

उक्त प्रतियोगी परीक्षाओं में सम्मिलित होने की अनुमति उक्त कर्माचरियों को निर्देशानुसार निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान की जाती है:–

1. शिक्षण संस्थान में अध्ययन का समय यदि कार्यालय समय के समान ही हो तो अध्ययन स्वीकृति स्वतः ही समाप्त मानी जाएगी।
2. राजसेवक का पदस्थापन अध्ययन स्वीकृति संस्थान के मुख्यालय से परिवर्तन/स्थानान्तरित हो जाता है तो अध्ययन स्वीकृति स्वतः ही समाप्त हो जायेगी।
3. प्रत्येक वर्ष के लिये अलग अलग अनुमति लेनी आवश्यक होगी।
4. विभाग की पूर्वानुमति प्राप्त किये बगैर अध्ययन चालू रखने एवं परीक्षा में सम्मिलित होने वाले कर्मचारियों के विरूद्व नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।
5. जिन कर्मचारियों को इस वर्ष उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु अथवा अध्ययन जारी रखने एवं परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति दी जायेगी उन्हे परीक्षा दिवसों के अतिरिक्त अन्य कोई अवकाश स्वीकृत नही किया जायेगा।

Contd..

6. अध्ययन स्वीकृति दिये जाने से अधिकारी/कर्मचारी को किसी स्थान विशेष पर पदस्थापन निरन्तर रखने का अधिकारी नहीं मिल पायेगा और उसका स्थानान्तरण किया जा सकता है।
7. अध्ययन से राजसेवक दैनिक राजकीय कार्य सम्पादन में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करेगा, अन्यथा स्वीकृति समाप्त कर दी जाएगी।
8. अध्ययन वर्ष मे अधिकारी/कर्मचारी की उपस्थिति का प्रतिशत कम होने के लिये सरकार/विभाग किसी प्रकार से जिम्मेदार नही होगा।
9. परीक्षा की तैयारी हेतु किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
10. प्रशासनिक कारणोवश अध्ययन स्वीकृति बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकती है।
11. उक्त शर्तो की अवहेलना करने या पाई जाने पर कार्मिक/कार्मिका के विरूद्व कार्मिक विभाग के परिपत्र कमांक प.9(5)(9)/कार्मिक/क–3/2001 दिनांक 16 मई 2002 के अनुसार वृहत शास्ति हेतु अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल मे लाई जायेगी।

sd

(भंवर सिंह नाथावत)
प्रभारी अधिकारी (संस्थापन)

प्रतिलिपि– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. संबंधित विभागाध्यक्ष........................।
2. संबंधित कर्मचारी..............................।
3. प्रभारी अधिकारी, वेबसाइट, वेबसाइट पर अपलोड़ हेतु।
4. निजी/रक्षित पत्रावली।

प्रभारी अधिकारी (संस्थापन)